हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता आन्दोलन
हर इन्सान-एक समान

समता ज्योति

वर्ष : 15 अंक : 08 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 अगस्त, 2024

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

इंद्रा साहनी प्रकरण के निर्णय का पुनरावलोकन (Review) किया जाए: समता आन्दोलन

अनुच्छेद-16(4) के अधीन सरकारी नौकरियों में दिये जाने वाले आरक्षण का आधार जाति नहीं वरन ''पिछड़ापन'' हो

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय का पत्र लिखकर कहा है कि नौ जजों की संविधान पीठ द्वारा नवम्बर, 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के प्रकरण में दिये गये निर्णय के पुनरावलोकन किया जाए और कहा कि अनुच्छेद-16(4) के अधीन सरकारी नौकरियों में दिये जाने वाले आरक्षण का आधार जाति नहीं वरन ''पिछड़ापन'' हो।

समता आन्दोलन समिति ने अपने पत्र में लिखा कि आप यह भली भांति जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद-16(4) के अधीन सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिये जाने का जो समर्थनकारी प्रावधान(Enabling provision) है उसमें आरक्षण दिये जाने के लिए ''पिछड़ापन'' और ''अपर्याप्त प्रतिनिधित्व'' होने की दो अनिवार्य शर्तें हैं। अनुच्छेद-16(4) में जाति आधारित आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है।

नौ जजों की संविधान पीठ द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ''जाति'' को ''पिछड़ेपन'' का आधार या मानक माना जा सकता है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय की अनेक संविधान पीठों द्वारा यह भी बार-बार अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक क्रीमिलेयर वर्ग के लोगों को अन्य पिछड़ावर्ग की सूची में शामिल जातियों से बाहर नहीं किया जाता तब तक अन्य पिछड़ावर्ग को दिया गया आरक्षण न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है। दुर्भाग्य से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा जो क्रीमिलेयर की पहचान संबंधी अधिसूचनाऐं जारी की गई है उनके आधार पर मुश्किल से दशमलव एक प्रतिशत (0.1%) लोग ही क्रीमिलेयर की श्रेणी में आ रहा है। जिसके कारण व्यवहारिक रूप से अन्य पिछड़ावर्ग को दिया जाने वाला आरक्षण पूरी तरह जाति आधारित हो गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ जजों की संविधान पीठ द्वारा यदि उपरोक्त निर्णय में ''पिछड़ेपन'' की ऐसी वैज्ञानिक परिभाषा तय कर दी जाती जिसमें जाति और धर्म का नाम नहीं हो, तो आज तक देश के लाखों, करोड़ों वास्तविक पिछड़ों, वंचितों और दलितों का समुचित उत्थान हो चुका होता। आप यह भली भांति जानते हैं कि अनुच्छेद 16(4) के अधीन आरक्षण का आधार जाति को मान लेने के कारण:-

(1) देश में जाति आधारित ध्रुवीकरण, कटुता और वैमनस्य बढता ही जा रहा है।

(2) विभिन्न जातियों द्वारा अपने समुदाय को आरक्षण दिलवाने अथवा आरक्षण बढवाने के लिए किये गये आंदोलनों में देश को अब तक खरबों रूपये की सम्पत्ति का नुकसान हो चुका है तथा सैकड़ों लोग अपनी जान गवां चुके है।

(3) सम्पन्न और अगड़ी जातियों में अपने को पिछड़ा साबित करने की होड़ लगी हुई है। इनके दबाव में आरक्षण का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। सम्पन्न और बलशाली जातियाँ अपने अराजक और हिंसक आंदोलनों के बल पर अन्य पिछड़ावर्ग में अपनी जाति वर्ग का नाम जुड़वाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को विवश करती रही हैं। जिसके कारण वास्तविक पिछड़ों और वंचितों तक सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ पहुंचा पाना लगभग असंभव होता जा रहा है। और देश तीव्र गति से जातिगत गृहयुद्ध की तरफबढता जा रहा है।

(4) देश में बड़ी संख्या में जाति आधारित क्षेत्रीय राजनैतिक दलों का उदय हुआ है जिससे विकासवादी राजनीति को लगातार नुकसान हो रहा है। यदि केन्द्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार किसी राष्ट्रीय दल की नहीं बनती है तो ये जातिवादी क्षेत्रीय दल केन्द्र की सरकार को समर्थन के नाम पर सार्वजनिकतौर पर ब्लैकमेल करने से भी नहीं चूकते हैं। राष्ट्रीय पार्टी भी लाचार होकर विकासवादी राजनीति को छोड़कर अब जातिवादी राजनीति करने लगी है, जातिवादी मुद्दों को प्राथमिकता देना तथा जातिगत जनगणना जैसे पश्छगामी (Retrograde) मुद्दों को संसद में जोर-शोर से उठाना।

(5) जाति आधारित आरक्षण के कारण केन्द्र एवं राज्यों का लोक प्रशासन पूरी तरह जातिगत गुटों में बँटता जा रहा है, जातिगत भ्रष्टाचार एवं वैमनस्य बढ़ रहा है, सकल प्रशासनिक दक्षता और योग्यता की हानि हो रही है, अनुच्छेद 335 के निर्देशों का रोजाना उल्लंघन हो रहा है।

आप यह भी जानते हैं कि:-

1. अनुच्छेद 16(4) में जाति आधारित आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। केवल ''पिछड़ों'' को ''अपर्याप्त प्रतिनिधित्व'' होने पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है।

2. अनुच्छेद 16(4) के अधीन आरक्षण का लाभ दिये जाने के लिए ''पिछड़ेपन'' की ऐसी वैज्ञानिक परिभाषा होना अति आवश्यक है जिसमें वास्तविक पिछड़ों और वंचितों की पहचान जाति और धर्म से अलग हटकर स्थापित करने की क्षमता हो। ऐसी परिभाषा केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित पांच मानदण्डों के माध्यम से तय कर दी गयी है।

3. आजादी के 75 साल बाद जातिगत व्यवसायों के एकाधिकार की प्रवृति में भारी बदलाव आया है। अब देश में अन्य पिछड़ावर्ग में शामिल जातियों में से कोई भी जाति ऐसी नहीं है जो पूर्णतया अपने पारिवारिक, पारम्परिक या जाति से जुड़े व्यवसाय पर ही जीवन यापन कर रही हो। केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा अभी तक ऐसा कोई सर्वेक्षण या अध्ययन नहीं करवाया गया है ऐसी परिस्थितियों में अन्य पिछड़ावर्ग में शामिल परम्परागत व्यवसायों से संबंधित वर्गो का पिछड़ापन उनकी जातियों के आधार पर निर्धारित किया जाना पूरी तरह अप्रासंगिक और दुर्भाग्यपूर्ण है। केन्द्र सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा 01 जनवरी 2022 को जारी केन्द्र सरकार के ही सफाईकर्मियों के आंकड़े यह प्रमाणित करते हैं कि सफाईकर्मी (एक अनुसूचित जाति) के जाति आधारित पारम्परिक कार्य करने वालों में 57 प्रतिशत सामान्य और ओबीसी समाज के लोग शामिल हो चुके हैं। इन 57 प्रतिशत में से 17 प्रतिशत ओबीसी और लगभग 40 प्रतिशत लोग सामान्य वर्ग से हैं। इनमें भी ब्राहम्ण वर्ग के सफाई कर्मियों की संख्या सर्वाधिक है।

4. राजस्थान में ओबीसी आयोग द्वारा वर्ष 2001-2003 में दी गई रिपोर्ट में ओबीसी के उपवर्गीकरण की सशक्त अभिशंषा की गई थी। इसी तरह केन्द्र में ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिये रोहिणी आयोग द्वारा एक साल से भी अधिक समय पूर्व अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दी गई थी लेकिन ओबीसी सूची में शामिल दबंग, सम्पन्न जातियों के दवाब के कारण केन्द्र की सरकार अभी तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर पाई है और संसद में प्रस्तुत करने का साहस नहीं जुटा पा रही है।

उपरोक्त सभी विधिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं तथ्यात्मक विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आरक्षण की अवधारणा केवल इसलिये असफल साबित हो रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा नवम्बर-1992 को जाति को पिछड़ेपन का आधार मान लिया गया।

पत्र में आग्रह किया गया कि आर्थिक कमजोर वर्ग के पांच मानदण्डों का अवलोकन करें। हमारे विचार से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित ये पांचों मानदण्ड अनुच्छेद 16(4) में दिये गये ''पिछड़ेपन'' की वैज्ञानिक और सत्यापनीय परिभाषा है जिसमें धर्म या जाति का कहीं कोई नाम नहीं है। आज की तारीख में आर्थिक कमजोर वर्ग की पहचान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित पांचों मानदण्ड विश्वास योग्य आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर किसी भी जाति वर्ग के वास्तविक कमजोर, पिछड़ों और वंचितों की पहचान करने में पूरी तरह सक्षम हैं। अत: नवम्बर-1992 में सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा दिये गये इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य के निर्णय का पुनरावलोकन करते हुये अन्य पिछड़ावर्ग में जाति को पिछड़ेपन का आधार नहीं माना जावे तथा अन्य पिछड़ावर्ग को भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पहचान के लिए निर्धारित पांचों मानदण्डों के आधार पर चिन्हित करके आरक्षण एवं सरकारी योजना का लाभ दिये जाने के बाध्यकारी निर्देश जारी करने का अनुग्रह करें।

अध्यक्ष की कलम से

''हम बहुत खुश है''

साथियों,

लोकतंत्र में नैतिकता को धौंसपट्टी बनने में समय नहीं लगता है। कम से कम जाति आधारित आरक्षण के मामले में तो यह साफ दिखाई देता है। आजादी के ठीक बाद केवल कौंग्रेस ही लगभग एकमात्र पार्टी थी। फिर भी उसने अपने देश के पिछड़े भाईयो को अगड़ा बनाने के लिये न केबल दस साल के लिये विद्यायिका में जाति आरक्षण को नीति के रूप में स्वीकार किया बल्कि अपनी पार्टी के पितामह रहे महात्मा गांधी की उपलब्धियों को उलटते हुए दो सदस्यी निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था को बदल दिया।

आगे चलकर जब नई-नई पार्टियाँ लोकतंत्र में भागीदारी निभाने लगी हो सभी ने जाति आरक्षण को सत्ता प्राप्ति का मूलमंत्र मानते हुए इसे ऐसा का ऐसा न वेवल स्वीकार किया बल्कि हर दस साल पर अगले दस सालों के लिये बढ़ाती रहीं। इसके लिये संसद में जरूरत है या नहीं विषय पर कोई बहस भी नहीं हुई।

दूसरी तरफ अदालते संविधान की मूल भावना के अनुरूप इंदिरा साहनी, एमनागराज, क्रमशः 81 वां 82 वां, 85 वाँ संविधान संशोधन करके जाति आरक्षण को इस या उस रूप में लगातार जारी रखा गया। आखिर भाजपा ने सबका साथ सबका विकास का आदर्श अपना कर इस भस्मासुर पर नकेल डालने की शुरूआत की। और अब हाल ही 6-1 की गणना से आये संविधान पीठ के निर्णय ने सुझाव के रूप में कम से कम क्रीमी लेयर को तो मुख्य धारा में ला ही दिया है। हम खुश हैं। बहुत खुश हैं।

जय समता

सम्पादकीय

''चाबी वाला खिलौना नहीं, अपना जनप्रतिनिधि चुनिए''

बचपन में छोटी-छोटी लड़कियों द्वारा खेला जाने वाला खेल अभी भी स्मृतिपटल पर ज्यों का त्यो अंकित है। 8-10 बालिकाऐं घेरा बनाकर ले घूमती और बीच में एक लड़की मछली बनकर खड़ी होती थी। घेरे में लगातार घूमती लड़कियाँ कहतीं- हरा समुन्दर, गोपीचंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी.... इसके बाद बीच की लड़की क्रमश: घुटनों, पीठ, कंधे तक पानी का पहुँचना इशारों के साथ बोलकर बताती- हाथ जोड़कर इतना पानी...। जैसे ही वो पानी को सिर से ऊपर बताती वैसे ही धेरे की बालिकाएँ घेरा तोड़कर भागतीं और बीच की लड़की दौड़कर उनमें जिस किसी को छू लेती तो वो लड़की बीच में मछली बनती। खेल चलता रहता।

तनके इस खेल का मतलब अब समझ में आया है कि जब पानी सिर के ऊपर से निकल जाये तो अपने घेरे से बाहर आना ही चाहिये। लेकिन दुखद है कि जाति आरक्षण का पानी हर दस साल में सिर से गुजर जाता है रहा है। फिर भी कोई घेरा तोड़कर बाहर नहीं आता है। सिवाय समता आन्दोलन को छोड़कर देश के सैकड़ों हजारों सामाजिक संगठन गली से लेकर विश्वस्तर तक होने का दावा करते हैं लेकिन कोई भी खुद के दायरों से बाहर नहीं आया है।

देश में लोकतंत्र को पार्टी तंत्र इतना गहराई तक हड़प चुका है कि उनका पुनरुद्धार प्राय: असंभव है। क्योंकि पार्टियों में बंटे सामाजिक संगठनों में कौन अध्यक्ष, महासचिव यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष बनेगा, इसका निर्धारण भी पार्टियाँ करने लगी है। परिणाम ये हुआ कि चेतनासम्पन्न सक्रिय लोगों का नितांत अभाव हो गया है। ऊपर से पाटीतंत्र का धनतंत्र के साथ का गठजोड़ कितना घातक हो गया है कि विगत लोकसभा से पहले दो बार के सांसद रहे एक प्रत्याशी ने दावा किया कि चाहे 50 लाख रुपया खर्च हो जाये टिकट तो मैं ही लाऊंगा।

ऐसे भयानक समय में यदि कोई एम.एल.ए. या एम.पी. बन भी जाता है तो उसे जनता के सरोकारों से कोई मतलब नहीं रहता हैं। अत: वो कथित जनप्रतिनिधि चाबी लगे खिलौने की तरह मात्र वही बोलता है जो पार्टी बुलवाना चाहती है। तब फिर संसद में जिसे हम हमारा प्रतिनिधि मानते है वो किसी के भी काम का नहीं होता है। इसीलिये रजनप्रतिनिधि भी आज के नये राजवंश बन गये हैं। उन्हें केवल पार्टी से मतलब है। जनता और उसके मुद्दे उठाने वाला कोई नहीं है।

इन हालातों में यदि लोकतंत्र में लोक की मर्यादा बचाकर रखनी है तो आज और अभी से ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों में गैर पार्टी तंत्र विकसित कर के जनता को अपने प्रतिनिधी खड़े करने होंगे। अन्यथा सरपंच के चुनाव में 30-40-50 लाख रुपये खर्च कर देने वाला प्रत्याशी और चाहे कुछ भी हो लेकिन सरपंच नहीं हो सकेगा। आइये संकल्प ले कि पंचायती और स्थानीय निकायों में अपने प्रतिनिधी खड़े करके लोकतंत जितायेंगे।

- योगेश्वर झाड़सरिया -

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक और क्रांतिकारी निर्णय

-राजेन्द्र भाणावत, पूर्व आई.एस.अधिकारी-

अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सात सदस्य पीठ ने 6.1 के बहुमत में आरक्षण से सम्बंधित एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला दिया है। इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी वाई चंद्रचूडकर के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति गवाई, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा। इस फैसले में आरक्षण के पूरे विषय को एक नई दिशा दी है एवं वर्षों से चली आ रही आरक्षण के कारण आरक्षित वर्ग में उत्पन्न असंतुलन को सुधारने का एक अवसर दिया है।

अब तक यह माना जाता था कि अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण एक ऐसा पवित्र विषय है जिसे कोई छूना नहीं चाहता। कुछ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश की सरकार ने पदोन्नति में अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण को समाप्त कर दिया था और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उसे सही माना था, किंतु अनुसूचित जाति, जनजाति के द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन और आंदोलने के परिणाम स्वरुप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को प्रभावहीन करते हुए संसद के माध्यम से एक संविधान संशोधन कर दिया, जिसके द्वारा पदोन्नति में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का प्रावधान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पंजाब सरकार के 2006 के उस आदेश के संबंध में है जिस से सरकारी भर्तियों में अनुसूचित जातियों में से कुछ जातियों के लिए एक कोटा निर्धारित कर दिया था। इस निर्णय पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसे संविधान के विरुद्ध मानते हुए इस पर 2010 में रोक लगा दी थी। इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रस्तुत की गई जिस पर फरवरीए 2024 में विस्तृत सुनवाई के पश्चात यह निर्णय दिया गया है। इस निर्णय से पंजाब सरकार के अनुसुचित जातियों में से कुछ के लिए विशेष कोटा निर्धारित करने के आदेश को सही करार दिया गया है।

यह आश्चर्यजनक है कि अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने इस निर्णय के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं दी और चुप्पी साध ली है। शायद इसके राजनीतिक लाभ हानि का आकलन कर रहे हों। आरक्षण समर्थक विचारकों द्वारा निर्णय का विरोध किया जा रहा है और संविधान के विरुद्ध ठहराया जा रहा है। इससे पहले कि इस निर्णय के गुणवगुण पर विचार करेंए इस निर्णय के प्रमुख बिंदुओं पर बात करना उपयुक्त होगा। वर्ष 2004 में आंध्र सरकार बनाम चिन्नैया के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि एम सी एस टी में वर्गीकरण सुविधान सम्मत नहीं है। तब से अब तक इसी दृष्टिकोण को सही माना जाता रहा है। इस निर्णय के द्वारा अब उच्चतम न्यायालय ने अपने पुराने निर्णय को बदल दिया है एवं राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों-जनजातियों के उप वर्गीकरण को संविधान सम्मत माना है। उच्चतम न्यायालय ने अपने बहुमत के निर्णय से स्पष्ट कर दिया हैं कि सभी अनुसूचित जाति और जनजाति को एक समान नहीं रखा जा सकता एवं इनका वर्गीकरण करना संविधान की भावना के विपरीत नहीं है। पूर्व में 2004 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने चिनाइया बनाम आंध्रप्रदेश सरकार के प्रकरण में यह निर्णय दिया था कि संविधान में जो अनुसूचित जातियों और जनजातियां दर्ज हैए उनको विभाजित नहीं किया जा सकताए एवं यदि ऐसा किया जाता है तो यह संविधान के विरुद्ध होगा। अब सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय पीठ ने इस निर्णय को बदल दिया है एवं यह स्पष्ट कर दिया है कि सभी एस टीए एस टी जाति एक समान नहीं है। इनमें से कुछ जातियां गत वर्षों में मिले आरक्षण के लाभ के कारण सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से अन्य के मुकाबले में अधिक बेहतर स्थिति में आ गई है। इसके फ्लत स्वरुपए आरक्षण का अधिकांश लाभ इन्हीं जातियों ने लेना प्रारंभ कर दिया हैं और अन्य कई जातियों को लगभग नगण्य लाभ मिला है।

न्यायमूर्ति बी आर गवाई ने तो यहां तक कहा कि अनुसुचित जनजाति में भी क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिएए जैसे ओबीसी के लिए किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन परिवारों की आप अधिक हो गई है एवं जिनको सामाजिका स्थिति भी सुदृढ़ हो गई है उन्हेंए इसी वर्ग की अन्य जातियों के निर्धन व्यक्तियों के बराबर नहीं माना जा सकता। माननीय न्यायाधीशों ने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि आरक्षण के कारण अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का कोई व्यक्ति आईएएसए आईपीएस या किसी अखिल भारतीय सेवा में आ जाता है एवं उसके बच्चे यदि अच्छे अंग्रेजी माध्यमं के प्रतिष्ठित स्कूल में अध्ययन करते है तो उनकी तुलना में एस सी एस टी वर्ग के उन व्यक्तियों का चयन संभव ही नहीं है जो ग्रामीण इलाकों के सरकारी विद्यालयों में बिना सुविधा के पढ़कर निकलते हैं। अत: उल्लिखित जातियों को उप विभाजित करके गैर क्रीमी लेयर को आरक्षण को विशेष लाभ दिया जाना उपयुक्त होगा। उदाहरण के लिएए जनजातियों में पूर्वी राजस्थान के मीना परिवारों के अनेक सदस्य अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित हुए है। जनजाति के लिए आरक्षण का अधिकांश लाभ इनों के हिस्से में आता हैए जनजोति जैसे गरासियाए भीलए सहरिया आदि का प्रतिनिधित्व उच्च शिक्षण संस्थानों एवं अखिल भारतीय सेवाओं एवं राज्य सेवाओं में लगभग नगण्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की भी चेतावनी दी है कि उप वर्गीकरण राजनीतिक आधार पर नहीं किया जाए अपितु विभिन्न जातियों की शैक्षिकए सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त करकेए विश्लेषण के पश्चात सोच समझकर निर्णय लिया जाए।

यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि 70 वर्षों में आरक्षण का लाभ किसे मिल रहा है और किसे मिलना चाहिएए आरक्षण की समीक्षा के बारे में संविधान में भी प्रावधान था कि प्रत्येक 10 वर्ष में आरक्षण की समीक्षा की जाएगी ताकि उसे अधिक विधि सम्मत बनाए जा सके। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं और आरक्षण निरंतर एक ही पद्धति के आधार पर चलता रहा। आर्थिक स्थिति से संपन्न होने के कारण कई एम सी एस टी के बच्चे शहरों के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। इनकी तुलना में कई ऐसी जातियां हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ एक भी बार नहीं मिला एवं वह अन्य की तुलना में कई अधिक पिछड़ते जा रहे हैं।

यह आश्चर्य की बात है कि निर्णय आए दो.तीन दिन हो चुके हैं किंतु अब तक किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल की ओर से कोई प्रतिक्रिया इसके समर्थन या इसके विरोध में नहीं आई है। स्पष्ट है कोई भी दल अनुसूचित जाति और जनजाति की कमजोर जातियों को एवं इनके निर्धन व्यक्तियों को नाराज नहीं करना चाहताए क्योंकि चुनाव के समय उनकी बहुत बड़ी भागीदारी रहती है।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सामान्य जन की वर्षों पुरानी इस मांग की पूर्ति करता है कि आरक्षण की समीक्षा विवेकपूर्ण ढंग से निष्पक्षता के साथ की जाए ताकि आरक्षण का लाम वांस्तुव में उन व्यक्तियों तक पहुंचे जो अब तक इससे वंचित हैं।

यह उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आरक्षण समर्थक कुछ विचारकों द्वारा विरोध किया जा रहा है। विरोध का एक आधार केवल यह है कि क्रीमी लेयर के व्यक्तियों की पहचान करना संभव नहीं है। हमने हाल ही में देखा है की पूजा खेडकर के परिवार ने किस प्रकार स्वयं को गैर क्रीमी लेयर का बताते हुए ओबीसी श्रेणी में गलत लाभ लिया थाए जबकि उसके पिता की संपत्ति 40 करोड़ रुपए के लगभग थी। जो व्यक्ति व्यवसाय मंत हैए उनकी आय के बारे में आकलन संभव नहीं है। जिस प्रकार स्वयं को गैर क्रीमी लेयर का बताते हुए ओबीसी में लाभ ले लेते हैंए वैसे हो अनुसूचित जातिए जनजाति में भी गैर क्रीमी लेयर का लाभ लिया जा सकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश भी दिए है कि उपवर्गीकरण का अधिकार राज्य सरकारों को है। यह अवश्य है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को धरातल पर लागू करना टेही खीर सिद्ध होगा। प्रत्येक जाति स्वयं को अन्य से पिछड़ा हुआ सिद्ध करने में लगेगी एवं सरकार के लिए स्पष्ट आंकड़ों के भाव में किसी भी जाति को कमजोर मानना सरल नहीं होगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी जाति की ओर से सामान्यतया वही व्यक्ति पैरवी करते हैं जो प्रभावशाली पद प्राप्त कर चुके हैं। उन्हीं जातियों के कमजोर एवं पिछड़े लोगों को निर्णय में कोई भागीदारी नहीं है एवं न ही उनकी बात को गंभीरता से सरकार द्वारा सुना जाता है। जैसा किसी भी जाति को उप वर्गीकृत करके आरक्षणं में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा। लगातार--- पृष्ठ-3

पौराणिक कथन : ''केकय''

दानवीर शिवि के चारा पुत्रों में एक। इन्हीं के नाम पर केकय देश बना। केकयी इसी देश की थी। व्यास- शाल्मली नदी किनारे।

भिखमंगों की टोली चलकर,
लूटपाट से झोली भरकर,
अब सबको शर्मिन्दा करते-
संविधान भी दुबका डरकर ।।

कविता

सुप्रीमो का सुपर खेल

खिचडी हो या पूरी सब्जी,
पेट सभी से भर जाता है।
लेकिन आरक्षित हर बन्दा,
स्वामी भूखा रह जाता है।
खुद की खाकर छीना झपटी,
फिर धौंस दपर की लंका है।
थाने से लेकर संसद तब,
बजता उनका ही डंका है।
न्यायमति कुछ बोले भी तो-
वो हिंसक शोर मचाता है ।।
वे जन खास योग्यता रखते,
लालच तिकडम धूम धड़ाका।
सुविधाओं की बांध गठरिया,
खुद को समझे परम लड़ाका ।
सब नैतिकता खड़ी देखती,
आरक्षित बेसुर गाता है।।
खिचडी हो या पूरी सब्जी,
पेट सभी से भर जाता है।
लेकिन आरक्षित हर बन्दा,
स्वामी भूखा रह जाता है।
इतिहासों के सब पिंडारी,
वर्तमान के साहूकार हैं।
सारी पार्टी करे चिरोरी,
दिखती उनकी चाटुकार है।।
बरस पिचहत्तर बीत गये पर,
क्रीम चाट कर भी भूखे हैं।
बने जोंक अपनो पर चिपट,
उनके तन अब तक सूखे हैं।
सुप्रीमो के सुपर खेल पर-
अब तो बिफर नहीं पाता है ।।
खिचडी हो या पूरी सब्जी,
पेट सभी से भर जाता है।
लेकिन आरक्षित हर बन्दा,
स्वामी भूखा रह जाता है।

- वाई.एन.एस.-

दलितों में पिछडी जातियों के विकास के लिए आरक्षण में उप वर्गीकरण जरूरी

एससी-एसटी वर्ग में जो अमीर है वो और अधिक अमीर होते जा रहे हैं और जो आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक दृष्टि से आज सक्षम है वही आगे से आगे बढ़ रहे है...

डा0 भीमराव अम्बेडकर का सपना था की देश के एससी-एसटी वर्ग के वंचित, कमजोर लोगों को आरक्षण या आनुपातिक प्रतिनिधित्व देकर आगे बढाया जाए और समाज में समानता लाई जाएं क्योंकि उस समय यह वर्ग संख्या में अधिक होते हुए भी सामान्य वर्ग की तुलना में अत्यधिक पिछड़ा और वंचित और कमजोर था। संविधान में आरक्षण के प्रावधान की बदौलत देश में समानता की स्थापना होना शुरू हुई और आज परिवर्तन सभी को दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट के एक अगस्त 2024 के फैसले के अनुसार एससी.एसटी वर्ग में इतने वर्षों से आरक्षण के प्रावधान होने के बावजूद वंचितए कमजोर पिछड़े वर्ग का अस्तित्व आज भी ज्यों का त्यों बना रहना एक विचारणीय प्रश्न है।

संविधान में एससी-एसटी आरक्षण के प्रावधान को 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी देश में एक वर्ग काफी बड़ी संख्या में आर्थिक, शैक्षिक, मानसिक रूप से पिछड़ा और कमजोर है और कुछ वर्ग, जातियां, परिवार या व्यक्ति विशेष ही इसका लगातार फायदा उठाते जा रहे हैं और जो सक्षम है वो आज और सक्षम बनता जा रहा है जो वंचित हैं वो और अधिक पिछड़ता जा रहा है यानी दलित समाज स्वयं ही आज उच्च और निम्न वर्ग में बंट चुका है। आज भी दलित समाज में शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक समानता के सिद्धांत को फली भूत होते हम नहीं देख पा रहे हैं गरीबी, अमीरी और ऊंच, नीच की खाई आज भी वैसे की वैसे ही दिखाई देती है और यह खाई पहले दलित और सामान्य वर्ग के मध्य दिखती थी अब यह एससी-एसटी समाज में भी अंदर ही अंदर दिखाई देने लगी है। एससी-एसटी वर्ग में जो अमीर है वो और अधिक अमीर होते जा रहे हैं जो आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक दृष्टि से आज सक्षम है वही आगे से आगे बढ़ रहे है और गरीब, कमजोर, वंचित आज भी उसी गंभीर पिछड़ी स्थिति में नजर आता है जैसे हजारों साल से देखा जा रहा है। आरक्षण या कहे जातिगत आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत बाबा साहेब ने इस लिए दिया था ताकि जो जातियां विकास क्रम में पीछे रह गई है उन्हे समाज में वहीं अधिकार और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए जो अगड़ी जातियों को स्वत ही हजारों वर्षों से मिल रही थी।

इस सरकारी राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण से हालाकि समाज में काफी बदलाव और समानता आई है और दलित, वंचित, कमजोर वर्ग ने समाज में एक अच्छी जगह और पहचान तो बनाई ही है साथ ही शैक्षिक आर्थिक प्रगति भी पाई है। लेकिन इस आरक्षण के माध्यम से आगे बढ़ने और समाज में उच्च स्थिति तक पहुंचने वाले सक्षम वर्ग व आरक्षण का बिल्कुल लाभ नहीं प्राप्त कर पाने वाले असक्षम समूह पर गहन अध्ययन किया जाए तो आज बहुत बड़े वंचित समूह में वहीं आजादी से पूर्व की तरह असमानता, असुरक्षा, पिछड़ापन, अत्याचार से पीड़ित अशिक्षा और गरीबी ज्यों की त्यों खड़ी नजर आएगी एससी-एसटी वर्ग में जिसने प्रथम बार आरक्षण प्राप्त कर अपनी शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधार लिया है और सुरक्षा को प्राप्त कर लिया उसने साम, दाम, दण्ड, भेद की नीति से अपनी नेक्स्ट पीढी को भी आगे बढाने में पूरी मदद की है और सफलता भी पाई है हालांकि यह सभी समाज करते हैं सिर्फ दलित समाज नही करता है और सभी को अधिकार है अपनी नेक्सट पीढी की राह को सुगम बनाने का। लेकिन जो इस दौड़ में नए है या जिनके पास सिर्फ उनकी मेहनत के अलावा पैसा, पद या सिफारिशों की ताकत नहीं है उन्होंने अपने ही दलित समाज में उसी सामाजिक विभेद और आंतरिक संघर्ष को महसूस भी किया है और कर भी रहे है और इंटेलिजेंट और मेहनती होने के बावजूद सफलता और मंजिल पर पहुंचने की दौड़ में पपीछे रह गए है क्योंकि विकास की दौड़ में वो आज भी जीरो लाइन पर ही खड़े है और उनके पास वो सब साधन नहीं है जो एक अमीर सक्षम एससी-एसटी वाले समूह के पास है।

आज पिछड़े वंचित एससी एसटी के व्यक्ति को सामान्य वर्ग के साथ साथ एससी एसटी वर्ग में भी आंतरिक संघर्ष करना पड़ रहा है आगे बढ़ने के लिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय की कोटे में कोटा कर कर के अति पिछड़ों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए, सराहनीय भी है और आज आवश्यक भी यदि समाज को असमानता से मुक्त करना है तो। आरक्षण या कहे आनुपातिक प्रतिनिधित्व समाज की पीछे रह गई जातियों को विकास क्रम में आगे लाने और सामाजिक समानता की स्थापना के लिए लागू किया गया था ताकि कोई जाति आधारित विभेद नहीं हो। तो इसका उद्देश्य आज भी यही होना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं आज भी कुछ जातियां बुरी तरह से पिछड़ी रह गई है और कुछ जातियां इसका पूरा पूरा फायदा ले चुकी है और ले रही हैं वोसक्षम जातियां सरकारी नौकरी ही नही राजनीति में भी काफी आगे बढ़ चुकी है।

यदि देश में और सभी जातियों में वास्तविक समानताए सुरक्षा और विकास लाना है और बाबा साहेब के समानता के सपने को पूरा करना है तो इसके लिए जरूरी है की पहले सम्पूर्ण दलित समाज की एससी-एसटी की समस्त जातियों कीए मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाए और लेखा जोखा तैयार किया जाए, कैटेगिरी, सब कैटेगिरी तय की जाए और इनमे से अभी जो वर्ग, जातियां और परिवार बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएं है उन्हें आगे बढ़ाने हेतु आरक्षण को पुन: नए सिरे से परिभाषित करना होगा अर्थात उनके लिए अलग से प्रावधान करने हो होंगे, उनमें सब कैटेगिरी बनानी ही होगी साथ ही जिन जातियों, परिवारों और वर्गों की आज बहुत अच्छी स्थिति हो चुकी है और जिनका शैक्षिक, आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा हो चुका है उनको अब थोड़ा खुद से ही सोचना होगा की डा. भीमराव अम्बेडकर का सपना क्या था और वो क्या विकास को कुछ लोगों तक ही सीमित रखना चाहते थे या सब को एक समान स्तर पर लाना चाहते थे? और कोर्ट की मंशा को और फैसले को अच्छी तरह पढ़ने समझने का प्रयास करना चाहिएयह आरक्षण खत्म करने का नही बल्कि हर पिछड़े वंचित तक आरक्षण को पहुंच करने का प्रावधान है जिसे राज्य सरकार स्वयं सही तरीके से लागू करें। बस इसए जातीय विभाजन, जातिवाद, राजनीति, स्वार्थ, वोट बैंक, भ्रष्टाचार जैसे तत्वों से दूर रख कर धरातलीय प्रयास के साथ करना होगा और यदि यह सही तरीके से फली भूत होगा तो जल्दी ही समाज की दशा और दिशा बदलेगी।

- लेखक राजस्थान पुलिस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है, यह इनके निजी विचार है।

पृष्ठ-2 का शेष ---

सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऊपरी तौर पर कितना ही न्याय संगत और उपयुक्त क्यों ना लगे, इसका क्रियान्वयन किस प्रकार होगा यह स्पष्ट नहीं है। माननीय न्यायालय ने स्वयं यह कहा है कि बिना वस्तुनिष्ठ आंकडे इकट्ठे किए और बिना विश्लेषण और विवेचना के उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। भारत में जातिगत जनगणना अंतिम बार 1935 में हुई थी। कुछ वर्षों से जातिगत जनगणना को मांग कई दलों द्वारा की जाती रही है किंतु अब तक इस बारे में एक राय नहीं बन पाई है। इस निर्णय के विरोधियों का यह भी तर्क है कि एससी-एसटी में उपवर्गीकरण की बात की जाती है तो फिर यही सिद्धांत सामान्य वर्ग पर लागू क्यों नहीं किया जाता? क्या सामान्य वर्ग के लोगों में सभी जातियों को विभिन्न प्रवेश संस्थानों और नौकरियों में प्रतिनिधित्व समान रूप से प्राप्त हो पाया है? यदि नहीं तो फिर उनमें उप वर्गीकरण की बात क्यों नहीं उठाई जाती? एस सी एस टी के कुछ नेताओं ने इसे दलित और आदिवासियों में फूट डालने वाला निर्णय भी बताया है। निर्णय के विरोधियों का यह तर्क भी है कि एक या दो पीढी के अच्छी नौकरी में आ जाने मात्र से उसकी सामाजिक वेचना समाप्त नहीं हो जाती है। जाति जनजाति का आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है अत: संपन्नता का मापदंड आरक्षण में लागू करना सही नहीं है। उन्हें यह पूछा जाना चाहिए कि जब नौकरियों में आरक्षण के कारण सामाजिक वेचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो फिर इसके लिए आरक्षण को इसका उपाय मानना कहां तक सही है। भेदभाव केवल सवर्गों और अनुसूचित जातियों जनजातियों में ही नहीं होता। एक अनुसूचित जाति के सदस्य ही कई बार अन्य अनुसूचित जातियों के साथ अद्भुत सा व्यवहार करते हैं। यह तो सही है कि अनुसूचित जातियों में जितनी जातियां सम्मिलित है वे सभी सामाजिक और शैक्षिक रूप से समान रूप से वंचित नहीं रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन के द्वारा उठाई गई जाति गत जनगणना की मांग सही है क्योंकि इसी के आधार पर यह पता चल पाएगा कि किस जाति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में, वर्षों में, कितना सुधार हुआ है।

उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और दूरगामी प्रभाव वाला है। अब देखना यह है कि वास्तव में यह फैसला धरातल पर लागू हो पाता है या राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद में इसको भी उसी प्रकार बदल दिया जाएगा जैसा पदोन्नति में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के संबंध में किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की समीक्षा के बारे में बहस तो छेड़ ही दी है। यह तो भविष्य के गर्भ में है कि वास्तव में ऐसा होगा या नहीं।

कोटा के अंदर कोटा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, 2004 के फैसले को पलटा, कहा- एससी-एसटी के लिए बना सकते हैं सब-कैटेगरी

सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है, जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा

नई दिल्ली। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति-जनजाति के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटा है। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह हैं, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकतीं। इसके लिए दो शर्तें होंगी- पहलीरू- अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100 प्रतिशत कोटा नहीं दे सकतीं। दूसरी- अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए।

फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7

: फैसले का आधार :

जजों की संविधान पीठ का है। इसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद-341 के खिलाफ नहीं है।

अदालत ने फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया है, जिनमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई हैं। उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों को सब-कैटेगरी में नहीं बांट सकते।

: फैसले के मायने :

राज्य सरकारें अब राज्यों में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य

सब कैटेगरी का आधार राज्यों के आंकड़ों से होना चाहिए, वह अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। क्योंकि आरक्षण के बाद भी निम्न ग्रेड के लोगों को अपने पेशे को छोड़ने में कठिनाई होती है। ईवी चिन्नैया केस में असली गलती यह है कि यह इस समझ पर आगे बढ़ा कि आर्टिकल 341 आरक्षण का आधार है।

- जस्टिस बीआर गवई -

सब-क्लासिफिकेशन (कोटे में कोटा) आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि सब-कैटेगरीज को सूची से बाहर नहीं रखा गया है। आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब-कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। एससी की पहचान बताने वाले पैमानों से ही पता चल जाता है कि वर्गों के भीतर बहुत ज्यादा फर्क है।

सीजेआई-डीवाई चंद्रचूड

मैं जस्टिस गवई के इस विचार से सहमत हूं कि एससी-एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान का मुद्दा राज्य के लिए संवैधानिक अनिवार्यता बन जाना चाहिए।

- जस्टिस शर्मा -

आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही मिलना चाहिये। अगर कोई पहली पीढ़ी आरक्षण लेकर हाई लेवल तक पहुंच गई है, तो दूसरी पीढ़ी को इसका हकदार नहीं होना चाहिये।

- जस्टिस पंकज मिथल -

जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकेंगी। यानी अनुसूचित जातियों की जो जातियां वंचित रह गई हैंए उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा। मसलन- 2006 में पंजाब ने अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित कोटे के भीतर वाल्मीकि और मजहबी सिखों को सार्वजनिक नौकरियों में 50 प्रतिशत कोटा और पहली वरीयता दी थी।

रिव्यू की जरूरत क्यों पड़ी

2006 में पंजाब सरकार कानून लेकर आईए जिसमें शेड्यूल कास्ट कोटा में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को नौकरी में 50: रिजर्वेशन और प्राथमिकता दी गई। 2010 में पंजाब,हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और कानून खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार समेत 23 याचिकाएं दायर की गईं।

पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने सुनवाई के दौरान कहा कि भर्ती परीक्षा में 56 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले पिछड़े वर्ग के सदस्य को 99 प्रतिशत हासिल करने वाले उच्च वर्ग के व्यक्ति की तुलना में प्राथमिकता दी जाए। क्योंकि उच्च वर्ग के पास हाईक्लास सुविधाएं हैं, जबकि पिछड़ा वर्ग इन सुविधाओं के बिना ही संघर्ष करता है।

अनुसूचित जनजाति वर्ग का उपवर्गीकरण कर क्रीमिलेयर लोगों को बाहर किया जाए: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन के अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ ने प्रेस कांफ्रेंस कर माननीय राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से सर्वोच्च न्यायालय की वृहद संविधान पीठ द्वारा दिये गये निर्णय की अनुपालना में अनुसूचित जनजाति वर्ग का उपवर्गीकरण करने तथा क्रीमिलेयर लोगों को बाहर करने का अनुरोध किया है।

प्रकोष्ठ ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि सर्वोच्च न्यायालय की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने सिविल अपील नम्बर 2317/2011 पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम देवेन्द्र सिंह एवं अन्य के साथ 22 अन्य प्रकरणों में निर्णय देते हुये यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों में आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित जातियों एवं जनजातियों तक पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का उपवर्गीकरण किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार इस वृहद संविधान पीठ ने यह भी निर्णय दिया है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में वंचित व्यक्तियों तक आरक्षण एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए क्रीमिलेयर लोगों को बाहर किया

तीन उपवर्गों की मांग

1. मीना जनजाति -चार (04) प्रतिशत।
2. टीएसपी क्षेत्र के आदिवासी - चार (04) प्रतिशत।
3. गैर टीएसपी क्षेत्र के गैर मीना आदिवासी -चार (04) प्रतिशत।

जाना आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन दोनों निर्देशों की पालना करने के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी हैं।

आप यह जानते हैं कि राजस्थान में अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल 12 जनजाति और उनकी उप जातियाँ शामिल हैं लेकिन क्रम संख्या-9 पर अंकित मीना जनजाति के नाम से राजस्थान का मीणा समुदाय अविधिक रूप से पिछले 75 वर्षों से जनजाति का लगभग सभी आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ हड़पता आ रहा हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बीएसएनएल आदि द्वारा की जा रही भर्तियों में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों का बड़ा भाग मीणा समुदाय के व्यक्तियों द्वारा ही हड़पा जा रहा हैं। जबकि इनकी जनसंख्या राष्ट्रीय स्तर पर जनजाति समुदाय में 0.3 प्रतिशत ही है।

आपकी जानकारी में हम यह भी लाना चाहते हैं कि राजस्थान राज्य के करीब एक करोड़ आदिवासी समुदाय को दिये जा रहे आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं के लाभ का लगभग सभी हिस्सा करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर आदि जिलों के एक गैर जनजाति मीणा समुदाय (जनसंख्या लगभग 35 लाख) द्वारा हड़पे जाने के कारण प्रदेश के वास्तविक आदिवासियों और गैर मीणा समुदाय के आदिवासी आरक्षण या सरकारी योजनाओं के लाभ से लगभग पूरी तरह वंचित है।

ज्ञापन में प्रार्थना की गई है कि अनुसूचित जनजाति में क्रम संख्या-9 पर अंकित मीना जनजाति को अलग-थलग करते हुये शेष क्रम-2 से क्रम-12 में अंकित 65 लाख से अधिक गैर मीना जनजातियों को आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का उचित लाभ दिलवाने के उद्देश्य से राजस्थान में जनजाति आरक्षण को निम्न तीन उपवर्गों में उपवर्गीकृत करवाने का अनुग्रह किया गया :-

1.मीना जनजाति-चार(04) प्रतिशत।
2. टीएसपी क्षेत्र के आदिवासी- चार (04) प्रतिशत।
3.गैर टीएसपी क्षेत्र के गैर मीना आदिवासी - चार (04)

हरियाणा: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आगे बढ़ने वाला पहला राज्य

एससी के 20 प्रतिशत कोटे में वंचित जातियों को नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण पर कैबिनेट में मुहर

चंडीगढ़- विधानसभा चुनाव के बीच हरियाणा की भाजपा सरकार ने एससी वर्ग के लिए लागू आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला किया है। आरक्षित वर्ग में वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद हरियाणा पहला राज्य है, जहां इस बात पर सहमति बनी है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हरियाणा अनुसूचित जाति (एससी)आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। इसके अनुसार, 20 प्रतिशत आरक्षण में एससी की वंचित जातियों को नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि, यह प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद ही आगे बढ़ेगी। वहीं, एससी कमीशन की रिपोर्ट भी रखी गई। एससी कोटा में कोई बदलाव नहीं होगा।

सरकार बनने पर हर फैसला विधानसभा में विधेयक लाकर लागू करेंगे: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जितने भी जन हितैषी फैसले ले रहे हैं, उन्हें भाजपा की तीसरी बार सरकार बनते ही विधानसभा में विधेयक लाकर लागू कर दिए जाएंगे। इन पर निर्णय लेने के लिए चुनाव आयोग के पास भेज रहे है।

भाजपा सरकार के लिए आसान नहीं होगा अब लिए फैसलों का क्रियान्वयन

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार का कहना है कि चुनाव आचार संहिता के बीच यह सरकार के नीतिगत फैसले हैं। इनसे मौजूदा सरकार को लाभ मिल रहा है। इसलिए चुनाव आयोग की अनुमति के बिना ये लागू नहीं हो सकते। अब यह आयोग पर निर्भर करेगा कि वह मंजूरी देता है या नहीं। हां, ऐसे फैसलों को लेकर विपक्ष आपत्ति जता सकता है। इन फैसलों पर पेच फंस सकता है।

12 सितंबर से पहले सरकार भंग हुई तो विस सत्र बुलाने की जरूरत नहीं

12 सितम्बर ये पहले कैबिनेट की सिफारिश पर राज्यपाल विधानसभा को समयपूर्व भंग कर दे। ऐसा होने से लाए गए 5 अध्यादेशों की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आम चुनाव के नतीजों के बाद गठित 15वीं हरियाणा विधानसभा के बुलाए गए पहले सत्र में उक्त 5 अध्यादेशों को नए सदन में विधेयक के तौर पर पारित करने के लिए प्रदेश की नई सरकार द्वारा पेश किया जा सकता है।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in